



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 215 राँची, गुरुवार, 17 वैशाख, 1948 (श०)
7 मई, 2026 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

अधिसूचना

6 मई, 2026

अधि०सं०-01/आ०श्र०से०(तक०)-02-06/2023श्र०नि०-७६१--श्री अविनाशतिर्की, तत्कालीन कारखाना निरीक्षक, हजारीबाग अंचल-2 को अनाधिकृत रूप से बैठक से अनुपस्थित रहने एवं अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, सरकारी कार्य के प्रति घोर लापरवाही, सरकारी आदेश का उल्लंघन तथा अनुशासनहीनता बरतने के प्रथम द्रष्टया आरोपों के आधार पर विभागीय अधिसूचना०-1360 दिनांक-02.08.2023 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उप मुख्य कारखाना निरीक्षक का कार्यालय, बोकारो निर्धारित किया गया।

2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1402 दिनांक-08.08.2023 द्वारा श्री अविनाशतिर्की, निलंबित कारखाना निरीक्षक के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया। विभाग स्तर पर आरोप पत्र में श्री तिर्की के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गयाः

- I. दिनांक-02.03.2023 एवं दिनांक-17.05.2023 की विभागीय सचिव की अध्यक्षता में आहूत समीक्षात्मक बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहना जिसके लिए सचिव के स्तर से कारण पृच्छापत्रांक-51 दिनांक-22.05.2023 दिया गया जिसके आलोक में स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित नहीं किया गया।
 - II. मे0 नार्थ कर्णपूरासूपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, टण्डवा, चतरा कारखाना में दिनांक-13.03.2023 को घटित संघातिक दुर्घटना के संदर्भ में मुख्य कारखाना निरीक्षक झारखण्ड, राँची के द्वारा कार्यालय पत्रांक-450 दिनांक-20.03.2023 द्वारा उक्त घटना का प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन देने का निर्देश के बावजूद जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि कारखाना निरीक्षक के हैसियत से 30 (तीस) दिनों के अंदर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये जाने का प्रावधान कारखाना अधिनियम में दिया गया है।
 - III. श्री तिर्की कारखाना निरीक्षक द्वारा उपर्युक्त कंडिका-2 में वर्णित कारखाना में घटित संघातिक दुर्घटना का जाँच प्रतिवेदन निर्देश के बावजूद भी समर्पित नहीं किये जाने की निमित्त में विभागीय आदेशसं0-01, दिनांक-25.04.2023 द्वारा उक्त पटल की जाँच हेतु श्री गोपाल कुमार, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, राँची की अध्यक्षता में एक जाँच समिति का गठन किया गया। जिसके एक सदस्य के रूप में श्री तिर्की, कारखाना निरीक्षक जाँच कार्य में अनुपस्थिति रहे, इनके अनुपस्थिति में ही जाँच का कार्य पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन निर्गत किया गया।
 - IV. मेसर्स कोडरमा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, गुमो, कोडरमा में दिनांक-01.06.2023 को घटित संघातिक दुर्घटना का मुख्य कारखाना निरीक्षक झारखण्ड द्वारा दिये गये नि के बावजूद भी श्री तिर्की द्वारा आरंभिक जाँच प्रतिवेदन ससमय निर्गत नहीं किया गया। फलस्वरूप विभागीय सचिव के निर्देशानुसार मुख्य कारखाना निरीक्षक के पत्रांक-830 दिनांक-21.06.2023 तथा पत्रांक-861 दिनांक-04.07.2023 के माध्यम से श्री तिर्की, कारखाना निरीक्षक से कारण पृच्छा की गई लंबित उनके द्वारा स्पष्टीकरण अप्राप्त है।
 - V. विभागीय अधिसूचना सं0-1894 दिनांक-20.09.2016 द्वारा इसी सदृश्य आरोप के कारण श्री तिर्की, कारखाना निरीक्षक को निलंबित किया गया था। लेकिन कतिपय कारणों से विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकी। इस प्रकार पूर्व से ही श्री तिर्की का अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं सरकारी आदेश का उल्लंघन करना एक तरह से आदतन हो गया है।
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-67 दिनांक-29.08.2024, पत्रांक-154 दिनांक-24.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि श्री तिर्की को विभागीय कार्यवाही में कतिपय तिथियों को पत्र निर्गत कर उपस्थित होने का निदेश दिया गया परन्तु श्री तिर्की विभागीय कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त पत्र के आलोक में विभाग द्वारा दिनांक-30.11.2024 को प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर श्री तिर्की को विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

5. संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-420/अनु0, दिनांक-16.04.2025 द्वारा श्री अविनाशतिर्की, कारखाना निरीक्षक, अंचल-2सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री अविनाशतिर्की को बार-बार स्मारितकिये जाने के बावजूद विभागीय कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने का उल्लेख किया गया है। साथ ही जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री तिर्की के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित किया गया है।

6. विभागीय पत्रांक-778 दिनांक-28.04.2025 के द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री अविनाशतिर्की से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। पुनः विभागीय पत्रांक-911 दिनांक-23.05.2025 एवं पत्रांक- 1289 दिनांक-18.07.2025 के द्वारा श्री अविनाशतिर्की से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। किन्तु श्री तिर्की द्वारा किसी प्रकार का स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित नहीं किया गया।

7. उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, बोकारो के पत्रांक-20 दिनांक-10.03.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री अविनाशतिर्की द्वारा निलंबन अवधि के लिए निर्धारित मुख्यालय उप मुख्य कारखाना निरीक्षक का कार्यालय, बोकारो में योगदान नहीं किया गया है और न ही कार्यालय में उपस्थिति दर्ज की गयी है।

8. श्री तिर्की के द्वारा निलंबन अवधि में उनके लिए निर्धारित मुख्यालय में न तो योगदान दिया गया और न ही विभाग द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन पर अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त श्री अविनाशतिर्की, कारखाना निरीक्षक, हजारीबाग अंचल-2सम्प्रति निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के भाग-V, नियम-14 में वर्णित वृहत्तशास्तियों के रूप में कंडिका (अ) में उल्लेखित प्रोन्नति पर रोक एवं कंडिका (IV) में वर्णित 03 (तीन) वर्षों तक संचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया जाता है।

श्री अविनाशतिर्की को निलंबन मुक्त करते हुए विभागीय मुख्यालय में योगदान करने का आदेश दिया जाता है। निलंबन अवधि में उनके लिए निर्धारित मुख्यालय में योगदान समर्पित नहीं करने एवं उपस्थिति दर्ज नहीं करने के फलस्वरूप निलंबन अवधि के लिए किसी प्रकार का भुगतान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0-1011 दिनांक-03.02.2016 द्वारा निर्गत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के भाग-IV नियम-10 (1)(ख) के आलोक में देय नहीं होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्रके असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अविनाशतिर्की, कारखाना निरीक्षक एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr. No.	Employee Name & G.P.F/C.P.F No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	अविनाशतिर्की%20071200006%	श्री अविनाशतिर्की]तत्कालीन कारखाना निरीक्षक]हजारीबाग अंचल-2 को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण]नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के भाग-V,नियम-14में वर्णित वृहत्तशास्तियों के रूप में कंडिका (v) में उल्लेखित प्रोन्नति पर रोक एवं कंडिका (iv) में वर्णित 03(तीन) वर्षों तक संचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश यादव,
सरकार के अवर सचिव।
